

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 45/2019

1-गोविन्द कवर पत्नी मंगलसिंह जाति राजपुत निवासी नावां तहसील नावां
जिला नागौर, राज०।

.....अपीलान्त

बनाम

- 1.-तहसीलदार नावा, तहसील नावां जिला नागौर
- 2- पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से ।

अपील विरुद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की
धारा 91(3) बअनुवान सरकार बनाम गोविन्द कवर , मु०सं० 30/19 निर्णय दिनांक :
05.07.2019 को निरस्त करने बाबत ।


अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :10.02.2021

[1] -मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नावा द्वारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 30/2019 सरकार बनाम गोविन्द कवर में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं० 01 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म गै०मु० झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थीया के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अप्रार्थीया को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली व लगान दर का 50 गुणा से 152/- रू0 अक्षरे एक सौ बावन रूपये की शास्ती आरोपित की गयी। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 39/2019 सरकार बनाम प्रेम कवर के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति, पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट व बयान की फोटोप्रति, फर्द बेदखली दिनांक 26.02.2019 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति पेश की गयी।

उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीयां द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

[2] –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

[2](1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2 –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरुद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है। एवं जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व



[Signature]
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जीडवाना

बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है।
अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{2}(5) – यह है कि प्रार्थीया का झील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है,
पूर्व प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का नाप चौक करवाया जाना आवश्यक है। जिसे
सपरिवर्तन भी किया जा चुका है।

{2}(6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानों के दौरान अधिवक्ता
अपीलान्ट का किसी प्रकार की जिरह का मौका नहीं दिया गया है, ना ही सुनवाई
का कोई मौका दिया गया है एवं पटवारी द्वारा बिना नाप क गलत रिपोर्ट दी गई है
उक्त भूमि अपीलान्ट की स्वामित्व सुदा भूमि है।

{2}(7) – यह है कि पूर्व में जो निर्णय पारित होने का हवाला दिया है उसकी किसी
प्रकार की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई एवम न ही जो फर्द बेदखली
बताई है उसमें अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन
किया गया। पटवारी हल्का नावा व भू0अ0निरीक्षक नावां की रिपोर्ट, अनुसार अप्रार्थी
द्वारा ग्राम साभर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म गै0मु0
झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व में भी सम्वत 2074 से
अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 19/18 रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने से साबित है कि
अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट
को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद
सूचना के अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। नोटिस चरपादंगी
मोतबरान के हस्ताक्षर है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति
द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 30.07.19
की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके
अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना


अतिरिक्त जिला कलक्टर




अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्त ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपूर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

∴ आदेश ∴


अपीलान्त की अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।




(अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त डी.डी.वा. कलक्टर
डी.डी.वा. (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त डी.डी.वा. कलक्टर
डी.डी.वा. (नागौर)